

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 13/2018-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

सा.का.नि.....) अ - . (केन्द्रीय सरकार , एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है , सा.का.नि. संख्यांक 1263(अ) , तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग , 2 खंड , 3 उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर) , तारीख 13 अक्टूबर, 2017 और जिसको सा.का.नि. 270(अ) तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 11/2018- एकीकृत कर (दर) , तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में , '30 जून 2018' अंकों और शब्द के स्थान पर '30 सितम्बर, 2018' अंक और शब्द रखा जाएगा ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट) ]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण--:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि .1263(अ) , तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 32/2017 एकीकृत कर (दर) , तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 270 (अ) , तारीख 23 मार्च , 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.11/2018- एकीकृत कर (दर) , तारीख 23 मार्च, 2018, द्वारा किया गया था ।